किस्म मुकदमा –अन्तर्गत धारा 251(a) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण सं.379/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.05.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित । पैरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्षकारान की अन्तिम बहस सुनी गयी । तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्रांक / एफ-/रीडर /2025/ 527 दिनांक 16.06.2025 से प्राप्त हुई । तहसीलदार रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.10.2025 को आपत्ति प्रस्तुत की । पैरोकार सरकार ने तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक / राजस्व /2025 /1690 दिनांक 17.10.2025 के आदेश की फोटो प्रति मय सपरिवर्तन आदेश व जमाबंदी के प्रस्तुत की । रिकार्ड अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम मुजरास के आराजी सं. 599/2025,601/530 कुल किता 2 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि मे नामान्तरण सं. 1084 दिनांक 24.08.2025 से विभाजन होकर नामान्तरण सं.1067 दिनांक 01.11.2025 से भूमि सोलर फार्म प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होने से नामान्तरण दर्ज हो चुका है । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । विधि का अनुशीलन किया गया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) के अनुसार कृषि भूमि हेतु रास्ता दिये जाने के प्रावधान है । प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि वर्तमान में सोलर फार्म प्रयोजनार्थ रुपान्तरित हो चुकी है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो अनुसार स्वीकार योग्य नही ठहरता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है । पत्रावली फैशल सुमार हो नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो । 14/5/26 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	